

(414-11)
12
4/12



राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.12(46)वित्त/राजस्व/2014

जयपुर, दिनांक 29 JAN 2015

::आदेशः

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2014 के अतिक्रमण में सूचना का अधिकांश अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के नियन्त्रणाधीन विभागों के संभाग/जिला कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी निम्नानुसार पदाभिहित किये जाते हैं:-

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) जयपुर अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) मुख्यालय, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, प्रथम अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक जिला कार्यालय	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

(Handwritten Signature)

(सुरेश चन्द दिनकर)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

(वेद श गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान-सरकार
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर



सूचना
का
अधिकार

क्रमांक:-प4(223)निपेवि/स्था/सू.अ./2005/पार्ट-। दिनांक
आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 9408-9450 आर दिनांक 18.01.18 में आंशिक संशोधन करते हुए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक:- प4 (223)निपेवि/स्था/सू.अ./2005/पार्ट-। दिनांक 6/9/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. अतिरिक्त/संयुक्त, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कार्यालय हाजा/क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर भरतपुर।
03. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन/मुख्यालय कार्यालय हाजा।
04. संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा
05. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
06. उप/ सहायक निदेशक पी.आर.-----।
07. विशेषाधिकारी, पेंशन शिकायत एवं पालना प्रकोष्ठ।
08. ए.सी.पी. कम्प्यूटर अनुभाग को भेज कर लेख है कि वेबसाइट में उक्त आदेश के अनुरूप आवश्यक संशोधन करावें।
09. निजी सचिव, निदेशक।
10. प्रशासनिक अधिकारी।
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. वरिष्ठ निजी सहायक।
13. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, रिकार्ड अनुभाग।
14. लेखाकार, भुगतान/अंशदान शाखा।
15. स्टोर कीपर को सूचना पट्ट में आवश्यक संशोधन कराने एवं तदनुसार लोक सूचना अधिकारी की सीलें तैयार कर सभी अनुभागों को उपलब्ध कराने बाबत।
16. सूचना पट्ट।

अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)